

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016—भाद्र 11, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. 729-1210-2016-बी-16.—मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल नियम, 2005 के अंतर्गत राजपत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—नियम 3 में बिन्दु (क), अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में के स्थान पर:—

3(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, प्रत्येक बोर्ड के लिये अध्यक्ष के रूप में परन्तु एक व्यक्ति दोनों बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त हो सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. द्विवेदी, उपसचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. एफ-1-10-2016-पन्द्रह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश अधीनस्थ सहकारी तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(1) नियम 6 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती द्वारा.”

(2) नियम 10 में, शब्द “परीक्षा/साक्षात्कार में उपसंजात नहीं होगा” के स्थान पर, शब्द “परीक्षा में उपसंजात नहीं होगा” स्थापित किया जाए.

F. No. F-1-10-2016-XV-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Subordinate Cooperative Class-III (Ministerial) Services Recruitment Rules, 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said Rule,—

(1) in rule 6, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) by direct recruitment through competitive written examination.”

(2) in rule (10), for the words “shall be appear to the examination/interview” the words “shall appear in the examination.” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश खरे, उपसचिव.